25/5/16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी / प्रतिवादी नं० 1 उपस्थित है। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा रजिस्टर्ड बयनामे पेश किये जिनकी प्रतियाँ शामिल पत्रावली है। मिलान सेमकल के अवलोकन से यह पाया जाता है, कि प्रतिवादी नं० 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की गई भूमि ही वादगत भूमि है।

वादी व प्रतिवादी नं० 1 की स्वार्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति बताकर उक्त भूमि में ½ हिस्सा प्राप्त

क्रमशः

करना चाहता है। जबकि प्रकरण में बादगत भूमि प्रतिवादी नं० 1 की खरीदी हुई भूमि है।

चूंकि खार्जित संपत्ति पर वादी को प्रतिवादी नं० 1 के जीवनकाल में कोई स्वत्व प्राप्त होना विधि अनुसार संभव नहीं है।

अतः दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। डिक्री मुरत्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 25/5/16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर लोक अदालत एवं कोर्ट कैम्प खुलमी पर सुनाया गया।

[चिन्मयी गोपाल]
I.A.S. प्रशिक्षु,
S.D.O. रामगंजमण्डी